

संख्या: 2-20/2015-ई0एक्सा0 एन0-एच0-स्थापना-भाग-2-  
आवकारी एवं कराधान विभाग

हिमाचल प्रदेश

दिनांक: शिमला-9

कार्यालय आदेश

2021

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पीईआर(एपी) सी-बी 1/2019 दिनांक 22 अप्रैल 2020 की अनुपालना में विभागीय जांच समिति की संस्तुति के आधार पर श्री मनमोहन अनुबंध आधार पर कार्यरत कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक जिन्होंने दिनांक-30.09.2020 को अनुबंध आधार पर (03) तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, को दिनांक 20.01.2021 को आशुलिपि की परीक्षा द्वितीय भाषा अर्थात् हिन्दी में उत्तीर्ण करने के उपरांत निम्नवर्णित नियम व शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थिति सूचना प्रस्तुत करने की तिथि से वेतनमान Rs.5910-20200+2800 ग्रेड पे के अंतर्गत न्यूनतम वेतन रु0 8710 (5910+2800 ग्रेड पे) व देय भत्ते पर नियमित किया जाता है तथा मुख्यालय, राज्य कर एवं आवकारी शिमला-9 में तैनात किया जाता है :-


क्र0 सि0	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी का पता	कर्मचारी की जन्म तिथि	अनुबंध आधार पर नियुक्ति की तिथि तथा पदनाम (कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक तथा आशुलिपिक)
1	श्री मनमोहन, कनिष्ठ आशुलिपिक	पुत्र श्री हेत राम गाँव खोब, डा0 कदारघाट, त0 सुन्नी जिला- शिमला	15.01.1990	24.04.2017

नियम व शर्तें:-

1. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के पद पर यह नियुक्ति दो वर्षों के लिए अस्थायी है।
2. कर्मचारी को सरकारी सेवा से एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताये पदव्युत किया जा सकता है। यह नोटिस सरकार तथा कर्मचारी किसी भी पक्ष द्वारा दिया जा सकता है। नियुक्ति करने वाले अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उसकी सेवाओं को एक मास का वेतन भत्तों के समान राशि देकर भी समाप्त कर सकता है।
3. कर्मचारी को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करनी होगी।
4. कर्मचारी को यह शपथ ग्रहण करनी होगी कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता व ईमानदारी से करेंगे तथा भारतीय संविधान के प्रति सत्यनिष्ठ रहेंगे।
5. कर्मचारी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान पर की जा सकती है।
6. कर्मचारी की नियुक्ति विभाग के अंतर्गत उपक्रम हिमाचल प्रदेश विवरेंजिज लिमिटेड, में भी की जा सकती है।
7. कर्मचारी को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मूल रूप में उपस्थिति सूचना के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
8. कर्मचारी यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि यदि वह विवाहित है तो उसकी केवल एक ही पत्नी/पति है।
9. कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा आधिकारी से अपनी स्वस्थता संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा तदोपरांत ही उनकी उपस्थिति ली जाएगी।


10. कर्मचारी की नियुक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके चरित्र एवं पूर्ववत् के सत्यापन पर निर्भर करेगी।
11. कर्मचारी किन्ही दो राजपत्रित अधिकारियों से जो उन्हें लगभग तीन वर्ष से जानते हों से अपने अच्छे बाल चलन का प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करेंगे।
12. यदि कर्मचारी आरक्षित वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं तो वह इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यदि उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव उम्मीदवार को स्वीकार्य हो तो उसे इस आदेश के जारी होने के पश्चात् 10 दिनों के भीतर-2 अपनी उपस्थिति सूचना इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

  
 (रोहन चन्द टाकुर)  
 आबकारी एवं कराधान आयुक्त  
 हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या: 2-20/2015-ई0एक10 एन0-एव0-स्थापना-भाग-2-5257-64 01-23-2021  
 प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) को उनके कार्यालय पत्र संख्या: पीईआर(एपी) सी-बी 1-2019 दिनांक 22.04.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) हि0 प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), शिमला-03 को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. जिला कोषाधिकारी, राजधानी कोष शिमला-02 सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
6. बिल शाखा, कार्यालय राज्य कर एवं आबकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
7. आई0टी0 शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि यह कार्यालय आदेश शीघ्र विभागीय साईट पर अपलोड किया जाए।
8. व्यक्ति विशेष/निजी नरित/गार्ड फाईल।

  
 (रोहन चन्द टाकुर)  
 आबकारी एवं कराधान आयुक्त  
 हिमाचल प्रदेश